



Presented on : 22-10-2022
Registered on : 22-10-2022
Decided on : 06-01-2024
Duration : 1 years, 2 months, 15 days

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई।

परिवाद संख्या-22678/2022

रामनरेश सिंह बनाम सर्वेन्द्र सिंह आदि

दिनांक 06.01.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० नियत है। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन या हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त वाद चलाने में इच्छुक नहीं है। अतः परिवादी पत्र परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी की अनुपस्थिति में परिवादी का परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरदोई।

I.D.-UP02035